

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग DEPARTMENT OF PAYMENT AND SETTLEMENT SYSTEMS केंद्रीय कार्यालय CENTRAL OFFICE मुंबई MUMBAI

प्राधिकार का प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF AUTHORISATION सं. No. 186/2024

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 7 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार और इस प्रमाणपत्र के पीछे दिए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन वर्ल्डलाइन ईपेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वर्ल्डलाइन) को भारत में 30 अप्रैल 2024 से 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

30 अप्रैल 2024 के दिन मुंबई में मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रदत्त।

(गुणवीर सिंह) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

In exercise of the powers conferred upon the Reserve Bank of India by Section 7 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007, **Worldline ePayments India Private Limited** (**Worldline**) is hereby granted Certificate of Authorisation to operate as an 'Online Payment Aggregator' in India with effect from **April 30, 2024** as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and subject to compliance with the terms and conditions given on the reverse of this Certificate.

Given under my hand at Mumbai on this 30th day of April 2024.

(Gunveer Singh)
Chief General Manager-In-Charge

पिछले पृष्ठ पर दिया गया प्राधिकार का प्रमाणपत्र निम्नलिखित निबंधन एवं शत्र के अधीन जारी किया जा रहा है: The Certificate of Authorisation is being issued as overleaf subject to the following terms and conditions:

1.	प्राधिकार का प्रमाण पत्र या उसकी प्रमाणित प्रति भारत में वर्ल्डलाइन ईपेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (वर्ल्डलाइन) (भुगतान
	प्रणाली प्रदाता) के मुख्य परिसर और इसके अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।
	The Certificate of Authorisation or a certified copy thereof shall be displayed at the main
	premises of Worldline ePayments India Private Limited (Worldline) (Payment System
	Provider) and its other offices in India.
2.	प्राधिकार केवल ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण व्यवसाय के लिए है। वर्ल्डलाइन ईपेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
	(वर्ल्डलाइन) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के प्रावधानों, उसके तहत जारी किए
	गए नियमों और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
	The Authorisation is only for online Payment Aggregation business. Worldline ePayments
	India Private Limited (Worldline) shall adhere to the provisions of the Payment and Settlement
	Systems Act, 2007 (PSS Act), regulations issued thereunder, and the directions / guidelines
	issued by the Reserve Bank of India from time to time.
र्ज विक. क	

